5. Institutions which are notified as deemed to be Universities shall continue to receive the funds for their maintenance and development expenditure from their existing sources and supplement them by raising their own internal resources.

6. The institute at the time of the proposal should have provision of adequate infrastructure facilities as following :

(a) Buildings

(i) Administrative 1000 sq. mts.

(ii) Academic including library building 3000 sq. mts.

(iii) Some teachers residence and a faculty guest house for atleast 10 persons.

(b) The Institute should have created or should have at least 3 faculties with atleast 25 faculty members including at least 5 professors.

(c) A minimum of Rs. 40 lakhs annual recurring gram .

(d) Equipment, Books and Journals-Rd. 50 lakhs.

7. For a period of first ten years the rstitution will have an Advisory Committee under the Chairmanship of person,, nominated by the Commission from among members of the Commission including Vice-Chairman. The Advisory Committee will include the Head of the Institution and its senior faculty alongwith one|two experts nominated by the UGC to help its academic planning and growth.

8. The Institutions at the time of making the proposal should have been functioning at least for a period of 5 years.

9. In the even of grant of deemed to be University status the Institutions will be required to make provision for an endowment for corpus in cash as under:

(a) Institutions conducting programme Rs, 50.00 lakhs in Science (s).

(b) Institutions conducting programme-Rs. 25.00 lakhs in Social Science (c) and Humanities.

10. The Institutions should be registered under the Societies Registration Act or Public Trust Act so as to have an independent character of its own.

11. In case the Institutions feel, after self appraisal, that it fulfills that minimum eligibility criteria in terms of objectives, programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability, etc. as laid down by the Commission for considering proposals for grant of Deemed to be University status, it may send the proposal, in duplicate, in the prescribed proforma to the Secretary, ministry of Human Resources Development, Department of Education. Shastri Bhavan, New Delhi -110001. Proposals *received directly from the Institutions* in the UGC Office would not be entertained by the Commission. Such proposals should invariably be forwarded to the Government of lndia through the concerned State Government.

बिहार में खेल-कूद केन्द्र

1776. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर और संथाल परगना मंडल के गरीब बच्चों को खेल-कूद की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक खेल-कूद केन्द्र खोलने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक खोले जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं तथापि, सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से खेलों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान योजना:

बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों और स्वयंसेवी खेल निकायों को समान आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(2) ग्रामीण स्कूलों को सहायता योजना

खेल के मैदान के विकास के लिए तथा खेल उपकरणों की खरीद के लिए ग्रामीण सेकेन्डरी/सीनियर सैकेन्डरी स्कूल को एक लाख रुपये तक का मुफ्त अनुदान दिया जा सकता है ।

(3) ग्रामीण खेल क्लब को सहायता

ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत एक ग्रामीण खेल क्लब को 30,000 रुपये तक एक मुफ्त अनुदान सहित खेल उपकरणों के लिए सहायता दी जा सकती है । जहां तक आदीवासी ब्लाक का संबंध है, 45,000/- रुपये तक सहायता प्रदान की जा सकती है । बाद के दो वर्षों के लिए 5,000/- रुपये प्रतिवर्ष का भी अनुदान इसे दिया जा सकता है ।

(4) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, योजना :

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए स्कूलों में खेलों के प्रशिक्षण के लिए चयनित बच्चों को दाखिल किया जाता है जहां उनके भोजन, आवास, ट्यूशन फीस आदि का व्यय भारतीय खेल द्वारा वहन किया जाता है ।

(5) विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र :

इस योजना का उद्देश्य उन समूहों और क्षेत्रों का पता लगाना है जहां एक विशेष खेल के लिए स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता विद्यमान होती है । चयनित बच्चों को खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं ।

(6) खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.)

इस योजना का उद्देश्य कोचिंग और प्रशिक्षण की व्यापक तथा एकीकृत पद्धति के माध्यम से चयनित स्थानों पर मूलभूत खेल सुविधाएं प्रदान करना है ।

(7) खेल छात्रावास योजना

इस योजना का लक्ष्य उन खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रावास स्थापित करना और चलाना है जिन्होंने राज्य और राष्ट्र स्तर पर चैम्पियनशिप में सफलता प्राप्त की है ।

(8) आर्मी में बाल खेल कम्पनियां:

भारतीय खेल प्राधिकरण और आर्मी संयुक्त रूप से प्रतिभावान लड़कों का पता लगाने और उन्हें खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना चला रहे हैं । इस क्षेत्र में इन परियोजनाओं को खोलने पर विचार किया जा सकता है । बशर्ते कि प्रस्ताव राज्य सरकार के जरिए प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने भागलपुर में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । तथापि, सरकार द्वारा इस अनुरोध पर अभी विचार किया जाना है चूंकि राज्य सरकार से अधिक ब्यौरे अपेक्षित हैं । उनकी प्रतीक्षा है ।